## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /15/2023

1—देवेन्द्र पुत्र बनवारी
2—अनौखा सिंह पुत्र बाबूलाल
3—राधेलाल पुत्र बाबूलाल
4—अमरचंद पुत्र बाबूलाल
5—डोरीलाल पुत्र बाबूलाल

} जातियान जाट निवासी नगला चूरामन तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्टान

बनाम

1— गोपाल सिंह पुत्र धर्मसिंह
2—गोविन्द सिंह पुत्र धर्मसिंह
3—दरब सिंह पुत्र धर्मसिंह
4—नवल सिंह पुत्र धर्मसिंह
5—रामढकेली पत्नी धर्मसिंह

} जातियान जाट निवासीयान नगला चूरामन तहसील व जिला भरतपुर

6—महेश फौजदार पुत्र श्री दाताराम जाति जाट निवासी ग्राम फुलवारा तहसील व जिला भरतपुर
7—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

...... रेस्पो०

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 1536 दिनांक 17.4.2023 बाबत आराजी खसरा नम्बर 97,98,99,100,101,102,103 वाके ग्राम महुआ तहसील व जिला भरतपुर

उपस्थित :—
1—श्री रमनलाल मित्तल, अभिभाषक अपीलान्टस,
2—श्री प्रमोद उपमन, अभिभाषक रेस्पो० 4,

### निर्णय

दिनांक 16.10.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो० व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 1536 दिनांक 17.4.2023 पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1536 दिनांक 17—04—2023 रेस्पो.—6 महेश पुत्र दाताराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. फुलवारा तहसील भरतपुर के हक में स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्र क्रमांक एल.आर./24/4484 दिनांक 26.6.2023 से नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। अपीलान्ट के अभिभाषक एवं रेस्पो. संख्या 4 के अभिभाषक उपस्थित, रेस्पो0 7 पेरोकार सरकार उपस्थित, शेष रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं । उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण में दर्ज आराजी पर अपीलान्टान का न्यारानूर कब्जा है, मकानात नौहरे गौंत व फार्म हाउस बना हुआ है। रेस्पो. संख्या 1लगायत 5 का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, ये रेस्पो0 नगला चूरामन में पचासों वर्ष से नहीं रहते हैं बल्कि गांव मोगर्रा जिला मथुरा के स्थाई निवासी हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट यह तर्क है कि राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात चले आ रहे थे जिनको दुरुस्त कराने के लिये दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर में विचाराधीन है। न्यायालय एस.डी.ओ. भरतपुर ने इन्हें विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखने व रहन वय मुन्तकिल नही करने हेत पाबन्द किया हुआ है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि एस.डी.ओ. भरतपुर द्वारा जारी टी.आई. के खिलाफ आर.ए.ए. भरतपुर के यहॉ चुपके से अपील करके अन्तरिम स्टे लेकर दौराने दावा तारीख 4.4.2023 को बयनामा करा लिया तथा तहसीलदार ने बिना कब्जे की जांच किये बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार कर दिया जो अवैध है। दौराने दावा विक्रय करना धारा 52 टी.पी. एक्ट के विरुद्ध हैं। तहसीलदार भरतपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नामान्तकरण स्वीकार किया है, नामान्तकरण स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार ग्रांम पंचायत महुआ का था इस लिये अपीलाधीन आदेश विधी विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 536 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो.4 ने अपने तर्को में जाहिर किया कि तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1536 रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर स्वीकार किया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो का कहना है कि बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया जाता है तो उसमें कब्जे वगै0 के जांच की कोई आवश्यकता नही रहती है। नामान्तकरण स्वीकार दिनांक को कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं था, इस सम्बन्ध में हल्का पटवारी ने भी अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण में कोई स्टे नहीं होने की रिपोर्ट की हुई है। नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसकिल प्रोरिडिंग है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने कथनों के समर्थन में रुलिंग आर.आर.डी. 1994 पेज 22 उद्धरित करते हुये अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों

.......3

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जिला कलक्टर
भरतपुर

पर गौर किया। योग्य अभिभाषक रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1536 ग्रांम महुआ तहसील भरतपुर का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा यथास्थिति बनाये रख्ने व रहन वय मुन्तकिल नहीं करने हेतु जारी था, स्थगन के होते हुये यह नामान्तकरण दर्ज किया गया है, अपीलान्ट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं क्यों कि अपीलान्ट ने सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया है जिससे उनके इस कथन की ताईद होती हो। उक्त नामान्तकरण पर अंकित नोट –

"..... मुताविक रजि0 बयनामा नामा0 दर्ज कर सेवा में पेश है.... मुताविक रिकार्ड स्थगन आदेश नहीं है। आज दिनांक तक किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है....।"

नामान्तकरण पर अंकित उक्त नोट से भी स्पष्ट है कि वक्त स्वीकार किये जाने नामान्तकरण तहसीलदार के समक्ष विवादित आराजी को लेकर कोई स्थगन नहीं था।

अपीलान्ट का यह कथन कि तहसीलदार ने कब्जे की कोई जांच नहीं यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं क्यों कि रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण रेस्पों0 6 महेश फौजदार के नाम दर्ज कर स्वीकार किया गया। बैयनामा में नामान्तकरण में कब्जे जांच की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जैसा कि आर. आर.डी 2017 पेज 276 में प्रतिपादित किया है :–

" ....Rajasthan Land Revenue Act,Sec 135- Revision against order of Addl. Divisional Commissioner- Held, recorded kahthar of the land having possession can transfer the land with possession by registered sale in Lieu of amount to the purchaser- Tehsildar is bound to attest the mutation on the basis of regd. sale deed without any enquiry regarding possession-........"

इसी प्रकार आर.आर.टी 2012 पेज 374 के पैरा संख्या 38, 40 में प्रतिपादित किया है कि :–

" ....Rajasthan Land Revenue Act,1956 -Sec 135- Rajasthan Land Revenue Rules ,1957- Rule to 133 to 135 – Sale of land by regd. sale deed. sale deed-Possession delivered mentioned in the sale deed No need to obtain possession separately-No restriction on sale of agricultural land in restricted area – Mutatation attested cannot be said to be coutrary to law order cancelling mutation is not justified....."

........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /15/2023

देवेन्द्र वगै0 बनाम गोपाल वगै0

इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1536 दिनांक 17.4.2023 तहसीलदार भरतपुर स्वीकार किये जाने का जो आदेश दिया गया वह सही है उसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)